प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिलाः–ए.सी.बी. चौकी कोटा थाना.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0 ब्यूरो जयपुर
   प्र0सू0रि0संख्या .....16/22..... दिनांक.....20/1/2022
2. (1) अधिनियम– भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018_धारायें –7
   (2) अधिनियम–.....धारा –
   (3) अधिनियम.....धारायें –.....
   (4) अन्य अधिनियम धारायें.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....समय.....
   (ब) अपराध घटने का दिन ... मंगलवार ....दिनांक....18.01.2022 ...समय 04.30 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 14.01.2022 समय 11.00 ए.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक – हस्तलिखित रिपोर्ट
5. घटना स्थलः– पुलिस चौकी विनायक थाना ईटावा जिला कोटा ग्रामीण।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–बजानिब उत्तर–पूर्व व 70 कि.मी.
   (ब) पताः– पुलिस चौकी विनायक थाना ईटावा जिला कोटा ग्रामीण।
   जरायम देही संख्या.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना – ईटावा कोटा ग्रामीण, राजस्थान
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नामः– श्री बनवारी लाल मीणा
   (ब) पिता का नाम – श्री बिरधीलाल मीणा
   (स) जन्म तिथी/वर्ष..... उम्र 32 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.– भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथी.....
   जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय– कृषि
   (ल) पता – ग्राम रनोदिया तहसील पिपल्दा जिला कोटा
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–

   आरोपी श्री नाहर सिंह पुत्र अजीराम जाति जाट उम्र 44 साल निवासी– गण्डुरा तहसील लक्ष्मणगढ थाना बडौदा मेव जिला अलवर हाल हैड कानि. 828 प्रभारी, पुलिस चौकी विनायका पुलिस थाना इटावा कोटा ग्रामीण
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–..... शून्य..
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य..... 7000/– रूपये.....
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 14.01.2022 को समय 11:00 ए.एम. पर श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा को परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा पुत्र श्री बिरधीलाल मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी ग्राम रनोदिया तहसील पिपल्दा थाना ईटावा जिला कोटा ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की। जिसका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने अवलोकन किया, परिवादी ने शिकायत प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया। परिवादी ने शिकायत इस आशय की पेश की कि " मैं श्री बनवारी लाल मीणा पुत्र श्री बिरधीलाल मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी ग्राम रनोदिया तहसील पिपल्दा थाना ईटावा जिला कोटा का रहने वाला हूँ। मेरा खेत के पडौसी हीरालाल माली से कुछ बोल चाल हो गई थी। मेरे पडौसी खेत मालिक हीरालाल ने मेरे खिलाफ थाना ईटावा मे मारपीट का मुकदमा नम्बर 15/22 दर्ज करा दिया था। जिसकी जांच ईटावा थाने के हैड कानि0 नाहर सिह 628 कर रहे है। उक्त जांच अधिकारी नाहर सिह मेरे को मुकदमे मे गिरफ्तार कर जेल भिजवाने की धमकी दे रहे है तथा जब मैं उनसे मिला तो उन्होने मुझे जेल नही भिजवाने तथा थाने पर ही जमानत

करवाने की एवज मे पन्द्रह हजार रूपये की रिश्वत की मांग की है। इस बाबत् दिनांक 12.01.2022 को मेरे से नाहर सिह हैड कानि0 628 चौकी विनायका थाना ईटावा जिला कोटा ग्रामीण ने आठ हजार रूपये ले लिये ओर मुझे शेष रहे सात हजार रूपये लेकर आने के लिये कहा है। मैं नाहर सिह हैड कानि0 628 चौकी विनायका थाना ईटावा जिला कोटा ग्रामीण को रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उनको रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी उनसे कोई आपसी रंजिश नही है ओर ना हि कोई उधार का लेनदेन बकाया है। शिकायत पर कार्यवाही करवाने की कृपा करे। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु मालखाने सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवाया जाकर, परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बंद करने की विधि समझायी। कार्यालय के श्री मुकेश कुमार कानि. 71 को अपने कक्ष मे बुलाकर परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा सें परिचय करवाया गया ओर परिवादी ने बताया कि मेरी आज ही नाहर सिह हैड कानि0 से रिश्वत संबंधी बात हो जायेगी। इस पर परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा को डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर उसके साथ निगरानी हेतु श्री मुकेश कुमार कानि. 71 को वास्ते गोपनीय सत्यापन हेतु आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 के पास थाना ईटावा के लिये रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दर्गी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। समय 10:00 पी.एम पर श्री मुकेश कुमार कानि0 71 मय सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के उपस्थित आया, जिसने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया कि आज हम दोनो कार्यालय हाजा से रवाना होकर कस्बा ईटावा पहुंचे थें। वहां पर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके थाना ईटावा पर आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 के पास रिश्वत संबंधी बात करने हेतु भेजा। परन्तु आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 थाने पर नही मिला इसके उपरांत हम दोनो वहां से ईटावा थाने की चौकी विनायका पर गये तो पता लगा था कि आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 किसी अन्य काम से कोटा गये हुऐ जिनके आने को कोई पता नही है। इस पर काफी इंतजार भी किया परन्तु आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 न तो थाने पर पहुंचा ना हि चौकी विनायका पर पहुंचा। सांय काल तक भी इंतजार करने के उपरांत भी आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 नही मिला। इसलिये रात्रि का समय होने से परिवादी वही रूक गया ओर मे डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर आ गया। जिसकी फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 17.01.2022 समय 08:00 ए.एम. पर परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को जर्ये मोबाईल कॉल करके बताया कि मुझे आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 थाना ईटावा समय 11.00 एएम पर थाने पर बुला रहा है। इस पर श्री मुकेश कुमार कानि0 71 को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी के बताये स्थान पर पहुंचकर, परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा को डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर गोपनीय सत्यापन कराने हेतु कस्बा ईटावा के लिये रवाना किया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दर्गी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। समय 09:00 पी.एम. पर श्री मुकेश कुमार कानि0 71 मय सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के कार्यालय हाजा उपस्थित आया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजीटल वाईस रिकार्डर पेश किया तथा श्री मुकेश कुमार कानि0 71 ने बताया की मै कार्यालय सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर कोटा सें रवाना हुआ तथा परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी बनवारीलाल मीणा तथा उसका मित्र श्री मांगीलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति महावर निवासी– रनौदिया मुझे कस्बा इटावा से पहले गणेशगंज तिराहे पर ही मिले। परिवादी ने बताया कि हैड साहब नाहर सिंह जी थाने पर ही हैं तथा मुझे जमानतदार को लेकर आने के लिए बोला हैं, जिस पर मैं मेरे मित्र श्री मांगीलाल को साथ लेकर आया हूं। गणेशगंज से परिवादी की मोटरसाईकिल पर रवाना होकर मै, मांगीलाल व परिवादी बनवारी तीनो पुलिस थाना ईटावा के पास पहुँचे तथा परिवादी को हैड कानि. नाहर सिंह सें रिश्वत व अपने कार्य के संबन्ध में स्पष्ट वार्ता कर वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लाने हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करके सुपुर्द कर रवाना किया, मै थाने के बाहर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहा। करीबन 4 घण्टे बाद परिवादी व उसका साथी मांगीलाल मेरे पास आये जिनसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त किया तो वह बन्द हालात में मिला। परिवादी ने बताया कि मैं तथा मांगीलाल आपके पास सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर उसको लेकर थाने में अन्दर गये थे, जहां पर मुझे हैड साहब नाहर सिंह जी मिल गये थे उन्होने मुझ सें

अन्य बातें करने के बाद मुझे बकाया 7,000 रूपयों के लिये बोला जब मैने उनसें कहा कि अभी तो नही हैं मैंने कहा कि गणेशगंज के मेरे दोस्त के लकडियां पटकी हैं जिसके पैसे आते ही मैं आपको दे दूंगा इसके बाद हैड साहब ने मेरी तलाशी लेकर मेरे मोबाईल व कागजात ले लिये तथा मुझे हवालात में बन्द दिया। रिकॉर्डर मैने मेरी अण्डरवियर में रख लिया था इसलिए उनको तलाशी में नहीं मिला करीबन तीन घण्टे हैड साहब ने मुझे हवालात में बन्द रखा इस दौरान हैड साहब ने मेरे साथ आये मांगीलाल सें मुझे अदालत में पेश करने के कागज तैयार करवाने के कागज व फाईल कवर मंगवा लिये तथा उसको थाने पर ही बैठाये रखा तथा कहा की तुम हमारे साथ अदालत चलना। फिर वो मुझे थाने के अन्य पुलिस वालों के साथ मोटर साईकिल सें एसडीएम साहब के पास ले गये जंहा पर मांगीलाल भी मेरी मोटरसाईकिल लेकर अदालत आ गया था। मेरी जमानत होने के बाद हैड साहब ने मुझे वापस थाने पर आने के लिए कहा हैं। परिवादी को नाहर सिंह हैड कानि. ने जमानत के बाद वापस बुलाने के कारण परिवादी को नाहर सिह हैड कानि. सें वार्ता कर रिकॉर्ड कर लाने हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द कर रवाना किया तथा करीबन आधे घण्टे बाद परिवादी वापस आया तथा बताया कि हैड साहब सें मेरी बात हो गई हैं तथा उन्होने सात हजार रूपये लेकर बुलाया हैं। हमारे बीच हुई सारी बातचीत सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड हो गयी है। मै ईटावा से रवाना होकर वापस कोटा आया हूँ। इस पर डिजीटल वाईस रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्त करके रिकार्ड वार्ता को सुना तो उक्त आरोपी द्वारा परिवादी से सात हजार रूपये मांगने की पुष्ठि हुई। जिसकी फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने मे रखा गया। आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 द्वारा रिश्वत राशि कल दिनांक 18.01.2022 को लेने के लिये परिवादी से कहा है अतः परिवादी को दिनांक 18.01.22 समय 9.00 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित आने के लिये जर्ये मोबाईल सूचित किया गया।

दिनांक 18.01.2022 को समय 09:30 ए.एम. पर परिवादी श्री बनवारीलाल मीणा मय उसके मित्र श्री मांगीलाल मय रिश्वत राशि सात हजार रूपये के कार्यालय हाजा उपस्थित आया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया का परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा से परिचय करवाकर, परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र मय दिनांक 17.01.22 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं का डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी बनवारी लाल मीणा मय शिकायत पत्र मय दिनांक 17.01.22 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर अपने कक्ष मे आया। परिवादी से पूरे घटना क्रम की जानकारी प्राप्त की तथा रिकार्डर वार्ता मुख्य मुख्य अंश सुने तो रिश्वत की मांग व आरोपी द्वारा दिनांक 18.01.2022 को रिश्वत राशि लेना तय है, अतः अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। श्री मनोज कुमार कानि0 211 को एक तहरीर तहसीलदार तहसील लाडपुरा कोटा के नाम देकर ट्रैप कार्यवाही के संबंध मे दो कार्मिक कार्यालय हाजा मे लाने हेतु रवाना किया गया। थोडी देर बाद श्री मनोज कुमार कानि0 211 मय श्री मनोज कुमार गौतम पुत्र श्री हरिबल्लभ गौतम उम्र 29 जाति ब्रहामण निवासी 1/449 हाउंसिग बोर्ड कॉलोनी सवाईमाधोपुर हाल कनिष्ट सहायक कार्यालय तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा मोबाईल नं. 9530222102 व श्री मुकेश चावडा पुत्र श्री बंशीलाल चावडा उम्र 38 साल जाति बंजारा निवासी 5 ई 12 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा हाल सूचना सहायक कार्यालय, तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा मोबाईल नं. 7014567714 कार्यालय हाजा उपस्थित आया। परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा का परिचय दोनों गवाहान से करवाया गया तथा परिवादी द्वारा पेश हस्तलिखित शिकायत प्रार्थना पत्र उक्त गवाहान को पढवाया जाकर ट्रैप कार्यवाही मे सम्मलित होने की सहमति चाही गयी। जिस पर दोनो गवाहान ने परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की। समय 10:45 ए.एम. पर कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर से उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय जो परिवादी श्री बनवारीलाल मीणा एंव आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 के मध्य दिनांक 17.01.2022 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री बृजराज सिह कानि. 159 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम के मुख्य अंश सुने गये, उक्त वार्ता लगभग

03घंटे 49 मिनिट की होने तथा समय अभाव के कारण उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार किया जाना निश्चित किया।

रूबरू गवाहान के समक्ष श्री बनवारी लाल मीणा पुत्र श्री बिरधीलाल मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी ग्राम रनोदिया तहसील पिपल्दा थाना ईटावा जिला कोटा ने आरोपी श्री नाहर सिह हैड कानि0 पुलिस थाना ईटावा जिला कोटा ग्रामीण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 14 नोट कुल 7000/– रूपये अपने पास से मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर फर्द मे अंकित किये गये। श्रीमति सरोज महिला कानि. नं. 104 से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृष्य रहे। परिवादी श्री बनवारीलाल मीणा की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार से लिवाई गई। परिवादी श्री बनवारी मीणा के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये सात हजार रूपये परिवादी के पहने हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब मे श्रीमति सरोज महिला कानि. नं. 104 से रखवाये गये। इसके बाद एक काँच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्रीमति सरोज महिला कानि. नं. 104 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई, दृष्टांत की कार्यवाही मे प्रयुक्त किया गया गिलास कार्यालय मे ही छोडा गया श्रीमति सरोज महिला कानि. नं. 104 को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी। ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें तथा रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर इशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु समझाईश दी। फर्द दृष्टान्त तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए।

समय 01:15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया मय परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा मय उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार गौतम, मुकेश चावडा मय जाप्ता श्री दिलीप सिह व0लि0, श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305, श्री बृजराज सिह कानि0 159, श्री भरत सिह कानि0 515, श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 304 मय प्राईवेट वाहन आर.जे. 20 टी.ए. 2703 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स के कस्बा ईटावा के लिये रवाना हुए। श्री हर्षराज सिंह खरेडा उप पुलिस अधीक्षक, श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक, मोहम्मद खालिक कानि0 213, परिवादी का मित्र मांगीलाल को सरकारी वाहन बोलेरा मय चालक श्री हेमन्त कानि चालक को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इम्दाद हेतु रवाना होकर गैंता रोड ईटावा पहुॅचने के लिए पाबन्द किया। समय 03:40 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया मय परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा मय उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार गौतम, मुकेश चावडा मय जाप्ता मय प्राईवेट वाहन मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स के फिकरा सदर का रवानाशुदा कस्बा ईटावा सुखनी नदी के पास पहुॅचा, परिवादी ने बताया कि मेरी मोटरसाईकिल चाय की दुकान पर खडी है, इस पर परिवादी को प्राईवेट वाहन से उतारा तथा मोटरसाईकिल लेकर गैंता रोड पर आने की हिदायत दी गई। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के रवाना होकर गैंता रोड पर पहुॅचा, जहॉ श्री हर्षराज सिंह खरेडा मय हमराहियान के सरकारी वाहन बोलेरो से उपस्थित मिले। कुछ समय बाद परिवादी बनवारी लाल मीणा अपनी मोटरसाईकिल से उपस्थित आया, परिवादी ने बताया कि मैने नाहर सिंह हैड कानिस्टेबल के बारे मे पता किया तो पता चला है कि वह पुलिस चौकी

विनायका पर बैठा है, वह मुझसे चौकी विनायका पर रिश्वत राशि लेगा। समय 04:00 पी.एम. पर सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी बनवारी लाल व मांगी लाल को पुलिस चौकी विनायका के लिए परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार गौतम, मुकेश चावडा मय जाप्ता मय प्राईवेट वाहन मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स के परिवादी के पीछे–पीछे चौकी विनायका के लिए रवाना हुआ। श्री हर्षराज सिंह खरेडा मय हमराहियान के सरकारी वाहन बोलेरो से आवश्यकता पडने पर इंमदाद हेतु कोटा रोड पर उपस्थित रहने के लिए कहा। समय 04:20 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार गौतम, मुकेश चावडा मय जाप्ता श्री दिलीप सिह व0लि0, श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305, श्री बृजराज सिह कानि0 159, श्री भरत सिह कानि0 515, श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 304 प्राईवेट वाहन से परिवादी के पीछे पीछे ग्राम विनायका पहुॅचा, परिवादी व मांगीलाल मोटरसाईकिल पुलिस चौकी विनायका के बाहर खडी कर अन्दर गए, इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व जाप्ता वाहन से उतरकर चौकी विनायक के दोनो तरफ अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के ईशारे के इंतजार मे मुकीम हुए, समय 04:30 पी.एम. पर रूबरू गवाहान के समक्ष परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा ने दुकान में स्थापित पुलिस चौकी विनायका के बाहर खडे हुये ने अपने सिर पर हाथ फिराकर रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया, दोनों स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार एवं मुकेश चावडा ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री भरत सिह कानि. नं. 515, श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305, श्री बृजराज सिंह कानि. 159, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 304 एवं श्री दिलीप सिंह, वरिष्ठ सहायक के पैदल चलकर परिवादी के पास पहुंचे। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने चौकी कक्ष में कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति की ओर इशारा कर कहा कि ये ही हैड साहब नाहर सिंह जी हैं, जिन्होने अभी थोडी देर पहले मुझे इस मकान के अन्दर की तरफ बने कमरे में ले जाकर 7,000 रूपये लिये तथा इन्होने अपने कोट की ऊपर की जेब में रखे है। इस पर परिवादी के बताये हुये पुलिस वर्दी के कोट को पहने हुये व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देकर अपने आने का मन्तव्य बताया व उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री नाहर सिंह पुत्र अजीराम जाति जाट उम्र 44 साल निवासी– गण्डुरा तहसील लक्ष्मणगढ थाना बडौदा मेव जिला अलवर हाल हैड कानि. 828 प्रभारी, पुलिस चौकी विनायका पुलिस थाना इटावा कोटा बताया तथा चौकी कक्ष में नाहर सिंह के पास ही अन्य कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति सें नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गोवर्धन जाति जाट उम्र 36 साल निवासी– नंगला हरसुख तहसील वैर जिला भरतपुर हाल कानि. 1023 पुलिस चौकी विनायका थाना इटावा बताया। श्री नाहर सिंह हैड कानि. सें परिवादी सें लिये गये 7,000 रूपयों बाबत पूछा तो मौन रहा तथा पुनः पूछने पर बताया कि ये पैसे मैने जमानत के लिए लिये है। इस पर परिवादी ने नाहर सिंह हैड कानि. की बात का खण्डन करते हुये बताया कि मेरा खेत के पडौसी हीरालाल माली से कुछ बोल चाल होने पर मेरे पडौसी खेत मालिक हीरालाल ने मेरे खिलाफ थाना ईटावा मे मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिस पर इन्होने उस मुकदमे मे गिरफ्तार कर जेल भिजवाने की धमकी दी थी, जब मैं इनसें मिला तो इन्होने मुझे जेल नही भिजवाने तथा थाने पर ही जमानत भरने की एवज मे पन्द्रह हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर उस समय मेरे पास 8000 रूपये की ही व्यवस्था होने सें 8000 रूपये इन्होने ले लिये थे तथा कल दिनांक 17.01.2022 जब मैं इनसें मांगी लाल के साथ मिला तो इन्होने मुझ सें अन्य बातें करने के बाद मुझे बकाया 7,000 रूपये लाने के लिए बोला जब मैने इनसें कहा कि अभी तो नही हैं मैंने कहा कि गणेशगंज के मेरे दोस्त के लकडियां पटकी हैं जिसके पैसे आते ही मैं आपको दे दूंगा इसके बाद हैड साहब ने मेरी तलाशी लेकर मुझे हवालात में बन्द कर दिया तथा करीबन तीन घण्टे बाद अन्य पुलिस वालों के साथ मोटर साईकिल सें एसडीएम साहब के पास ले गये जंहा पर मेरी जमानत होने के बाद इन्होने मुझे वापस थाने पर आने के लिए कहा जिस पर फिर सें में डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर इनके पास गया तो इन्होने मुझ सें 7000 रूपये लेकर आने के लिए कहा जिस पर मैने कहा था कि आज तो मेरे पास नहीं हैं कल ले आऊंगा तो इन्होने कहा था कि आज ही ले आना लेकिन मैने कहा व्यवस्था करके ले आऊंगा जिस पर आज मैं इनको देने के लिए 7000 रूपये लेकर आया तो इन्होने पहले तो मुझे धमकाया तथा फिर मैने कहा कि पैसों की व्यवस्था होने के बाद आपके पास आया हूं तो फिर इन्होने मेरे सें आधार कार्ड आदि मांगे तथा मुझे इस मकान के अन्दर बने कमरे

में ले जाकर 7000 रूपये अपने हाथों सें प्राप्त कर इस कोट की जेब में रख लिये थे जिसके बाद मैने चौकी कक्ष के बाहर आकर आपको इशारा किया। मैं नाहर सिह हैड साहब के पास आया तब इनके पास में ये अशोक कानि. भी बैठे हुये थे इसलिए हैड साहब ने मुझे व मांगीलाल को अन्दर कमरे में ले जाकर बातचीत कर 7000 रूपये लिये थे। अशोक कानि. सें मेरी रिश्वत के पैसों के संबन्ध में कोई बात नहीं हुई। इस पर श्री अशोक कुमार सें पूछा तो बताया कि मैने इसके विरूद्ध दर्ज चन्द्रप्रकाश के परिवाद के संबन्ध में ही बात की थी तथा हैड साहब बनवारी को मकान के अन्दर लेकर गये थे तथा फिर कुछ देर बाद बाहर आकर बनवारी सें बात करने लग गये थे इसके बाद आप आ गये थे। इस पर अशोक कुमार कानि. को चौकी पर मौजूद रहने की हिदायत दी गई। परिवादी के कहेनुसार श्री नाहर सिंह हैड कानि. 828 ने परिवादी सें 7,000 रूपये अपने हाथ सें लेकर पहने हुये पुलिस कोट की जेब में रखे हैं, अतः आरोपी श्री नाहर सिंह हैड कानि. 828 की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की। मकान में लगी हुई पानी की टंकी के नल सें श्री बृजराज सिंह कानि. नं. 159 सें पानी मंगवाकर दो कांच के गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी हैड कानि. नाहर सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 से अंकित किया। श्री नाहर सिंह हैड कानि. के बायें व दाहिने हाथ का धोवन हल्का गुलाबी आया हैं अतः स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश चावडा सें श्री नाहर सिंह की तलाशी लिवाई तो श्री नाहर सिह की पहने हुये पुलिस कोट की सामने की ऊपरी दाहिनी जेब में पांच–पांच सौ रूपये के नोट मिले उक्त नोटों को स्वतंत्र गवाह सें गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 14 नोट कुल 7,000 रूपये मिले, जिनके नम्बरों का मिलान गवाहान सें फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ, बरामद नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न हैं–

क0स0	नोटों का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 SA 255537
2.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 GD 924082
3.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 VV 299744
4.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 QA 886852
5.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 QV 929301
6.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 PD 745198
7.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 UL 314961
8.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 NF 002616
9.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 KP 908020
10.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 DR 884120
11.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 BA 050810
12.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 DG 256477
13.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 DR 212462
14.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 KG 953354

उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये तथा आरोपी की जामा तलाशी में अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इसके पश्चात एक कांच के साफ गिलास में पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। श्री नाहर सिंह सें उसकी पहने हुये पुलिस कोट को उतरवाकर कोट की सामने की ऊपरी दाहिनी जेब को उलटवाकर कांच के गिलास में बने घोल में धोया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क J-1, J-2 तथा पेन्ट

को सुखाकर एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर थैली पर मार्क J अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वत राशि लेनदेन के समय रिकॉर्ड हुई वार्ता को मन पुलिस निरीक्षक ने सुना तो परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की पुष्टि हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट पृथक सें तैयार की जावेगी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित अपने पास रखा गया। तत्पश्चात आरोपी श्री नाहर सिंह सें परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 15/2022 की पत्रावली के बारे में पूछा तो श्री नाहर सिह ने बताया कि प्रकरण की पत्रावली मैने ब्रिफ बनवाने के लिए कोर्ट एलसी को थाने में कल दे दी थी। प्रकरण संख्या 15/2022 की पत्रावली की सत्यापित प्रति जरिये तहरीर पृथक सें प्राप्त की जावेगी। परिवादी बनवारी लाल मीणा सें पूर्व में लिये गये 8,000 रूपयों बाबत पूछा तो आरोपी श्री नाहर सिंह ने बताया कि वो रूपये तो खर्च हो गये। इस पर चौकी कक्ष की तलाशी दोनों गवाहान सें लिवाई गई तो चौकी कक्ष सें कोई राशि नहीं मिली। ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री नाहर सिंह पुत्र अजीराम जाति जाट उम्र 44 साल निवासी– गण्डुरा तहसील लक्ष्मणगढ थाना बडौदा मेव जिला अलवर हाल हैड कानि. 828 प्रभारी, पुलिस चौकी विनायका पुलिस थाना इटावा कोटा का कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है। फर्द बरामदगी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए। परिवादी श्री बनवारी लाल की निशांदेही से दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए। परिवादी बनवारी लाल के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 15/2022 थाना ईटावा की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु थानाधिकारी थाना ईटावा के नाम तहरीर दी जाकर श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक मय सरकारी वाहन बोलेरों मय चालक हेमन्त कानि0 के थाना ईटावा रवाना किया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी नाहर सिंह हैड कानि0 को नोटिस नमूना आवाज दिया गया, मूल नोटिस पर आरोपी ने लिखित मे आवाज का नमूना नही देने बाबत् स्वयं हस्तलेख से लिखा। मूल नोटिस नमूना आवाज पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री नाहर सिंह पुत्र अजीराम जाति जाट उम्र 44 साल निवासी– गण्डुरा तहसील लक्ष्मणगढ थाना बडौदा मेव जिला अलवर हाल हैड कानि. 828 प्रभारी, पुलिस चौकी विनायका पुलिस थाना इटावा कोटा का कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया जाने पर जर्ये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार कर हिरासत मे लिया गया। श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक मय सरकारी वाहन बोलेरों मय चालक हेमन्त कानि0 के थाना ईटावा से वापस आए, परिवादी बनवारी लाल के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 15/2022 थाना ईटावा की प्रमाणित प्रति कुल 20 पृष्ठ लाकर पेश की जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। समय 08:00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया मय गिरफ्तारशुदा मुलजिम नाहर सिंह हैड कानि0 मय परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार गौतम, मुकेश चावडा मय जाप्ता श्री दिलीप सिह व0लि0, श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305, श्री बृजराज सिह कानि0 159, श्री भरत सिह कानि0 515, श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 304 मय प्राईवेट वाहन आर.जे. 20 टी.ए. 2703 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स मय जप्तशुदा रिश्वत राशि 7 हजार रूपये, जप्तशुदा धोवन की कुल 06 शीशीयॉ मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, J-1, J-2 तथा आरोपी के कोट का पेकिट मार्क J के पुलिस चौकी विनायका से रवाना होकर कोटा पहुँचा। जप्तशुदा माल रिश्वत राशि 7 हजार रूपये, जप्तशुदा धोवन की कुल 06 शीशीयॉ मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, J-1, J-2 तथा आरोपी के कोट का पेकिट मार्क J मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 304 के सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया किया। आरोपी नाहर सिंह हैड कानिस्टेबल का स्वास्थय परीक्षण करवाकर थाना नयापुरा कोटा मे सुरक्षित अभिरक्षा मे छोडा गया। समय 09:45 पी.एम. पर दिनांक 18.01.2022 को दौराने रिश्वत राशि लेन–देन परिवादी श्री बनवारीलाल मीणा एंव आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 के मध्य हुई वार्ता, जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकार्ड की गई, डिजीटल वाईस रिकार्डर से उक्त वार्ता श्री बृजराज सिह कानि. 159 के द्वारा को लेपटॉप में लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही के संबंध मे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम लगभग 03घंटे 49 मिनिट की होने से उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने मे समय लगने की संभावना तथा रात्रि का वक्त होने से पूर्ण किया जाना संभव नहीं होने से दिनांक 19.01.2022 को प्रातः तैयार किया जाना निश्चित किया

गया, परिवादी बनवारी लाल व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार गौतम, मुकेश चावडा को प्रातः 09 बजे कार्यालय हाजा मे उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया।

दिनांक 19.01.2021 को समय 10.00 ए.एम. पर परिवादी बनवारी लाल व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार गौतम, मुकेश चावडा कार्यालय उपस्थित आए। दिनांक 17.01.2022 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी श्री बनवारीलाल मीणा एंव आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 के मध्य हुई वार्ता– प्रथम, जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकार्ड की गई है, डिजीटल वाईस रिकार्डर से उक्त वार्ता श्री बृजराज सिह कानि. 159 के द्वारा को लेपटॉप में लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–प्रथम नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात दिनांक 17.01.2022 को परिवादी श्री बनवारीलाल मीणा एंव आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 व अन्य के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता – प्रथम, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता– द्वितीय तथा दिनांक 18.01.2022 को हुई रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता, जो सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड हुई है, उक्त तीनों वार्ताओं को श्री बृजराज सिह कानि0 159 के द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर से लेपटोप मे लिवाया जाकर उक्त वार्ताओ की चार सी0डी0 डब्ड करवाकर तैयार करवाई गई, जिसमे से एक सी0डी0 माननीय न्यायालय के लिये, एक सी0डी0 नमूना आवाज के लिये व एक सी0डी0 आरोपी के लिये पृथक–पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई। एक सी0डी0 अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल पत्रावली की गई। कपडे की थेलीयो पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई।

परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा द्वारा प्रस्तुत शिकायत तथा सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया हैं – परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 15/2022 थाना इटावा में अनुसंधान अधिकारी आरोपी नाहर सिंह हैड कानि0 828 द्वारा परिवादी को जेल भेजने की धमकी देकर, थाने पर ही जमानत भरने की एवज में 15000 रूपयों की मांग करना, परिवादी सें 8,000 रूपये पूर्व में प्राप्त करना, रिश्वत मांग सत्यापन के दौरानं बकाया रकम 7000 रूपये की मांग करना तथा दौराने ट्रैप कार्यवाही रिश्वती राशि 7,000/– रूपये परिवादी सें प्राप्त कर अपने पहने हुये पुलिस कोट की सामने की ऊपरी दायीं जेब में रखना, रिश्वती राशि 7,000/रूपये आरोपी श्री नाहर सिंह के पुलिस कोट की जेब सें बरामद होने तथा आरोपी नाहर सिंह हैड कानि. 828 के दोनो हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने व पहने हुये कोट की जेब के धोवन का रंग गुलाबी आने इत्यादी से आरोपी श्री नाहर सिंह पुत्र अजीराम जाति जाट उम्र 44 साल निवासी– गण्डुरा तहसील लक्ष्मणगढ थाना बडौदा मेव जिला अलवर हाल हैड कानि. 828 प्रभारी, पुलिस चौकी विनायका पुलिस थाना इटावा कोटा ग्रामीण का कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है।

अतः आरोपी श्री नाहर सिंह पुत्र अजीराम जाति जाट उम्र 44 साल निवासी– गण्डुरा तहसील लक्ष्मणगढ थाना बडौदा मेव जिला अलवर हाल हैड कानि. 828 प्रभारी, पुलिस चौकी विनायका पुलिस थाना इटावा कोटा ग्रामीण के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन सादर प्रेषित है।

(अजीत बगडोलिया)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अजीत बगडोलिया, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री नाहर सिंह हैड कानि. 828 प्रभारी पुलिस चौकी विनायका, पुलिस थाना इटावा, कोटा ग्रामीण, कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 16/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 130-34 दिनांक 20.1.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा ग्रामीण, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

20/1/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।